



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 212 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

24 नवम्बर, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-58/2017 का.-6024-- श्री बबलू मुर्मू, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-653/03, गृह जिला-दुमका) के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला के पद पर कार्यावधि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N) 1091, दिनांक-13.04.2017 के माध्यम से प्राप्त उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-51(ii)/म0को0, दिनांक-13.01.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“मनरेगा के अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करना, मनरेगा कानून का उल्लंघन करना, प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करना। फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करना।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7194, दिनांक 16.06.2017 द्वारा श्री मुर्मू से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में श्री मुर्मू के पत्रांक-13, दिनांक 06.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुर्मू के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-455, दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई।

उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-518, दिनांक 21.05.2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री मुर्मू द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के कई बिन्दुओं पर असहमति प्रतिवेदित की गई।

श्री मुर्मू से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-4772, दिनांक 28.06.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1615, दिनांक 18.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, गुमला के मंतव्य पर सहमति संसूचित की गई।

श्री मुर्मू के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गुमला के मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9293, दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्री मुर्मू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री मिंज के पत्रांक-98, दिनांक 18.03.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मुर्मू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री मुर्मू के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री बबलू मुर्मू, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
